न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 36/2023

1. वेगपाल आयु 50 वर्ष पुत्र स्व. रूड़ा जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।
2. नानची देवी आयु 82 वर्ष पत्नी रूड़ा जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू।

—अपीलांटस

—बनाम—

नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी, तहसील गुढा गौड़जी,जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 4757/2021
दिनांक 05.3.2021 नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी

उपस्थितिः—

1 .श्री झाबरसिंह शेखावत, एडवोकेट ———————अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 24.7.24

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि —अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2021 को नामान्तरकरण संख्या 4757 स्वीकृत किया गया है जो पत्रावली से, दस्तावेजी साक्ष्य से, विकय पत्र से राजस्व रिकार्ड से विधि विरूद्ध होने की वजह से प्रथम दृष्टिया खारिज होने योग्य है तथा कथन किया कि ओमप्रकाश नाम व्यक्ति ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र उनवानी ओमप्रकाश बनाम तहसीलदार उदयपुरवाटी अं0धारा 136 एल.आर.एलक्ट का दिनाक 22.02.2021 को पेश किया जो वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 26.02.221 को पेश हो तथा दिनांक 26.02.2021 को न्यायालय के आदेश के बिना ही तहसीलदार उदयपुरवाटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की तथा मात्र तथ्यात्मक रिपोर्ट को आधार बनाकर तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2021 मे प्लीड किया कि माला पुत्र न[illegible] तथा [illegible]ाला पुत्र पन्ना एक ही व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं जबकि दोनों व्यक्ति [illegible]—अलग व अलग—अलग गौत्र के हैं, पन्ना के वारिसान—माला, लादू व रूड़ा है जो [illegible] मेघवाल हैं जिनकी [illegible] कांवलिया है तथा नूना के वारिसान गोरूराम, माला व पीरूराम है जो व्यक्ति जाति से मेघवाल है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

गौत्र से जाखड़ हैं। दोनों व्यक्तियों के गौत्र भिन्न हैं एवं वंशावलियां भी भिन्न है। उक्त आदेश नल एण्ड वोईड आदेश है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2021 को स्वीकार कर तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना की जगह माला पुत्र नूना दुरूस्ती आदेश जारी किया। रेस्पोडेन्ट नायब तहसीलदार गुढागौड़जी ने बिना क्षेत्राधिकार के एवं बिना न्यायालय के आदेश के दिनांक 05.03.2021 को इंतकाल संख्या 4757/2021 को तस्दीक कर स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना की जगह माला पुत्र नूना दर्ज करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलांट नंबर 1 माला पुत्र पन्ना ताऊ था तथा अपीलांट नंबर 2 का जेठ था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 5.3.2021 के नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार हैं। अपीलांट ने राजस्व रेकार्ड को देखा तब जाकर अपीलांट के वंशज माला पुत्र पन्ना जो नाऔलाद फौत हो चुका था उसका राजस्व रिकार्ड माला पुत्र नूना क नाम से नामान्तरकरण दर्ज हो गया। अंत अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा दिनांक 5.3.2021 को नामान्तरकरण संख्या 4757/21 को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना की जगह माला पुत्र नूना नाम दर्ज किया है को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे तथा नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पृथक से किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– कथन किया कि ओमप्रकाश नाम व्यक्ति ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र उनवानी ओमप्रकाश बनाम तहसीलदार उदयपुरवाटी अं0धारा 136 एल.आर.एलक्ट का दिनाक 22.02.2021 को पेश किया जो वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 26.02.221 को पेश हो तथा दिनांक 26.02.2021 को न्यायालय के आदेश के बिना ही तहसीलदार उदयपुरवाटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की तथा मात्र तथ्यात्मक रिपोर्ट को आधार बनाकर तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2021 मे प्लीड किया कि माला पुत्र नूना तथा माला पुत्र पन्ना एक ही व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं जबकि दोनों व्यक्ति अलग–अलग व अलग–अलग गौत्र के हैं, पन्ना के वारिसान–माला, लादू व रूडा है जो जाति से मेघवाल हैं जिनका गौत्र कांवलिया है तथा नूना के वारिसान गोरूराम, माला व पीरूराम जो व्यक्ति जाति से मेघवाल है तथा गौत्र से जाखड़ हैं। दोनों व्यक्तियों के गौत्र भिन्न हैं एवं वंशावलियां भी भिन्न है। उक्त आदेश नल एण्ड वोईड आदेश है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने धारा 136

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:40 IST
Reason: SelfAttested

एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2021 को स्वीकार कर तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना की जगह माला पुत्र नूना दुरूस्ती आदेश जारी किया। रेस्पोडेन्ट नायब तहसीलदार गुढागौड़जी ने बिना क्षेत्राधिकार के एवं बिना न्यायालय के आदेश के दिनांक 05.03.2021 को इंतकाल संख्या 4757/2021 को तस्दीक कर स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना की जगह माला पुत्र नूना दर्ज करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलांट नंबर 1 माला पुत्र पन्ना ताऊ था तथा अपीलांट नंबर 2 का जेठ था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 5.3.2021 के नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार हैं। अपीलांट ने राजस्व रेकार्ड को देखा तब जाकर अपीलांट के वंशज माला पुत्र पन्ना जो नाऔलाद फौत हो चुका था उसका राजस्व रिकार्ड माला पुत्र नूना क नाम से नामान्तरकरण दर्ज हो गया। अंत अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा दिनांक 5.3.2021 को नामान्तरकरण संख्या 4757/21 को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना की जगह माला पुत्र नूना नाम दर्ज किया है को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे तथा नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पृथक से किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 20/2021 प्रार्थना पत्र अं0धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, के निर्णय दिनांक 26.2.2021 में दिये गये आदेश की पालना में नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा दिनांक 5.3.2021 को नामान्तरकरण संख्या 4757/21 को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र पन्ना की जगह माला पुत्र नूना नाम दर्ज किया है गया है जिसमें नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा नामांतरकरण संख्या 4757/21 दर्ज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्धान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरकण संख्या 4757/2021 दिनांक 05.03.2021 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, के प्रकरण संख्या 20/2021 के निर्णय दिनांक 26.2.2021 में दिये गये आदेश की पालना में नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा दर्ज किया है जो न्यायालय के आदेश से दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा नामांतरकरण संख्या 4757/21 दर्ज करने में तथा न्यायालय के आदेश की पालना की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में जो कथन किये गये हैं कि माला पुत्र पन्ना और माला पुत्र नूना दोनों अलग–अलग व्यक्ति थे, इन ऐतराजों के संबंध में अपीलांट को उपखण्ड अधिकरी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:40 IST
Reason: SelfAttested

20/21 में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2021 से कोई आपति है तो सक्षम न्यायालय मे चैलेंज करने के लिए स्वतंत्र है । नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, नामांतरकरण संख्या 4757/21 दर्ज करने में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा ग्राम टोडी भूमि खसरा नंबर 778, 782, 784 के संबंध में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 4757 दिनांक 05.03.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:40 IST
Reason: SelfAttested